भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1355

08.12.2025 को उत्तर के लिए

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में क्षेत्र-स्तरीय कर्मचारियों की कमी

1355. **श्री सचिदानन्दम आर.:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यावरण संबंधी निगरानी और क्रियान्वयन के लिए हमारे प्राथमिक रक्षा स्तम्भ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) पर्यावरण अभियंताओं और वैज्ञानिकों जैसे क्षेत्र-स्तरीय कर्मचारियों की भारी कमी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वर्तमान में स्वीकृत पदों की कुल संख्या तथा क्षेत्र-स्तरीय कर्मचारियों के रिक्त पदों की संख्या सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारे पर्यावरण शासन को पंगु बना रही कर्मचारियों की कमी की इस दीर्घकालिक समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कोई ठोस योजना और उसकी समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), 28 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और 08 प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) में वैज्ञानिक और तकनीकी पदों (क्षेत्र स्तरीय कर्मचारी) का विवरण नीचे दिया गया है:

बोर्डों/समितियों	वैज्ञानिक और तकनीकी पद	
	संस्वीकृत	रिक्त
सीपीसीबी	393	64 (16.28%) (30/11/2025 तक)
एसपीसीबी	6137	2921(47.59%)(31/08/2025 तक)
पीसीसी	402	176 (43.78%) ((31/08/2025 तक)
कुल	6932	3161

(ग): राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और एसपीसीबी/पीसीसी में रिक्तियों को भरने की ज़िम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा अपने-अपने विनियमों के अंतर्गत की जाती है।

*****